न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर०ए०एस०)**
प्रकरण संख्या – 16 / 2023
अनवान : –

1. पृथ्वी राम पुत्र बेगराज जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।

–**प्रार्थी**

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– **अप्रार्थी**

प्रार्थना पत्र रिकार्ड दुरस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **प्रार्थी**
राजपेरोकार

निर्णय **दिनांक:** 18/9/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा दुर्जाना तहसील नोहर के खाता संख्या 89 / 92 के ख0न0 143 की 8.6500 हैक्ट भूमि खसरा न0 88 की 4.8820 हैक्ट कुल 13.5320 हैक्ट भूमि जिसमें प्रार्थी संयुक्त रूप से 36673 / 155320 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है। रोही मौजा दुर्जाना तहसील नोहर खाता संख्या 176 / 178 के ख0न0 7.6390 हैक्ट भूमि ख0न0 51 की 5.1090 हैक्ट ख0न0 52 की 4.7550 हैक्ट कुल 17.5030 हैक्ट भूमि स्थित है जिसके प्रार्थी संयुक्त रूप से 1947 / 17503 हिस्से के खातेदार काश्तकार है।

यह रोही मौजा दुर्जाना तहसील नोहर के खाता संख 89 / 2 की कुल 13.5320 हैक्ट एवं रोही मौजा दुर्जाना तहसील नोहर के खाता संख्या 176 / 178 की कुल 17.5030 हैक्ट भूमि जिसमें प्रार्थी का नाम पृथ्वी सिंह दर्ज है परन्तु प्रार्थी का वास्तविक पृथ्वीराम है। इसलिए प्रार्थी अपना नाम पृथ्वी सिंह की जगह पृथ्वी राम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

प्रार्थी का वास्तविक नाम पृथ्वीराम है जबकि जमाबंदी में सहबन से पृथ्वी सिंह दर्ज है चुंकि प्रार्थी को किसान केडिट कार्ड, खाद बीज ऋण आदि लेने में असुविधा का सामना करना पड़ता है।

प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 को काफी मर्तबा कहा कि प्रार्थी का नाम पृथ्वी सिंह के स्थान पर पृथ्वीराम दर्ज कर देवे तथा प्रार्थी का कोई हिस्सा कम अथवा ज्यादा नही होना केवल नाम ही सशोधित होना है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 कुछ दिन तो आजकल करते रहे अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार राजस्व नोहर द्वारा रिपोर्ट मय आख्या की प्रेषित कि गई कि पृथ्वीराम एवं पृथ्वीसिंह एक ही व्यक्ति के नाम है संलग्न दस्तावेज ... रिपोर्ट पटवारी / भू0अ0निरीक्षक की टिप्पणी के अनुसार नाम संशोधन बाबत विधिसम्मत कार्यवाही किया जाना उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:49:10 IST
Reason: SelfAttested

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी का सही नाम पृथ्वीराम है जबकि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पृथ्वीसिंह दर्ज हो गया जिससे प्रार्थी को विभिन्न प्रकार की परेशानीयों का सामना करना पड़ता है। अतः मुताबिक प्रार्थी के दस्तावेजों के आधार पर राजस्व रिकार्ड में सही नाम पृथ्वीसिंह दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा दुर्जाना तहसील नोहर के खाता संख्या 89/92 के ख0न0 143 की 8.6500 हैक्ट भूमि खसरा न0 88 की 4.8820 हैक्ट कुल 13.5320 हैक्ट भूमि जिसमें प्रार्थी संयुक्त रूप से 36673/155320 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है। रोही मौजा दुर्जाना तहसील नोहर खाता संख्या 176/178 के ख0न0 7.6390 हैक्ट भूमि ख0न0 51 की 5.1090 हैक्ट ख0न0 52 की 4.7550 हैक्ट कुल 17.5030 हैक्ट भूमि स्थित है जिसके प्रार्थी संयुक्त रूप से 1947/17503 हिस्से के खातेदार काश्तकार है, जिसमें प्रार्थी का नाम पृथ्वीसिंह दर्ज है। प्रार्थी अपना नाम पृथ्वी सिंह के स्थान पर पृथ्वीराम दर्ज करवाना चाहता है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात यथा जनआधार कार्ड, राशन कार्ड एवं सरपंच ग्राम पंचायत मेघाना द्वारा प्रार्थी के नाम के संबंध मे तस्दीक प्रमाण पत्र में प्रार्थी का नाम पृथ्वीराम अंकित है। तहसीलदार नोहर, भू0अ0 निरीक्षक, पटवारी हल्का द्वारा प्राप्त रिपोर्ट में भी प्रार्थी का नाम सही करने हेतु विधिसम्मत कार्यवाही अभिशंषा की गई है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार राजस्व नोहर की रिपोर्ट एवं नाम के संबंध में सरंपच ग्राम पंचायत मेघाना की तस्दीक के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

अतः पटवारी, गिरदावर व तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं सरपंच ग्राम पंचायत मेघाना की तस्दीक के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा दुर्जाना तहसील नोहर के खाता संख्या 89/92 की कुल 13.5320 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा दुर्जाना तहसील नोहर खाता संख्या 176/178 की कुल 17.5030 हैक्ट भूमि स्थित है जिमसें **प्रार्थी पृथ्वी सिंह पुत्र बेगराज के स्थान पर पृथ्वीराम पुत्र बेगराज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाता है।** यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच पृथ्वी सिंह के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का पृथ्वी सिंह के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी का नाम पृथ्वी सिंह ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 18/9/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हों एवं उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:49:10 IST
Reason: SelfAttested